कार्यालय निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांकः- 2202-18......./नियो0/दि0द0उ0स0कि0क0यो0/2020-21/ दिनांक अगस्त 2020,

1. प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0
उत्तराखण्ड।

2. समस्त जिला सहायक निबन्धक
सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।

3. समस्त, सचिव /महाप्रबन्धक
जिला सहकारी बैंक लि0
उत्तराखण्ड।

विषयः– दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों/अकृषकों को रू0 1.00 लाख से रू0 3.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–376/XIV–1/20–5(19)2010 दिनांक 29 जुलाई 2020 के द्वारा दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को कृषि एवं कृषिकर्म एवं सहवर्ती कार्यों के साथ ही कृषि प्रसंस्करण से सम्बन्धित कार्य कलापों हेतु व्यक्तिगत रूप से लाभार्थी को रू0 1.00 लाख से रू0 3.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक सी–136/अधि0/दी0द0उ0स0कि0क0यो0/2018–19 दिनांक 11 फ़रवरी 2019 के पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त योजना हेतु रू0 1.00 लाख से रू0 3.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जायेंगें:–

1. यह योजना शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से वितरित ऋणों पर ही प्रभावी होगी।
2. उक्त योजना हेतु आवंटित बजट सीमा के अन्तर्गत ही ऋण वितरित किया जायेगा।
3. दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत सामान्य लघु एव सीमान्त कृषको को सम्मिलित किया जायेगा।
4. उक्त योजानान्र्तगत कृषि एवं सहवर्ती कार्यों हेतु अल्पकालीन एवं मध्यकालीन अवधि के ऋण वितरण करने की सुविधा है।
5. उक्त योजनान्तर्गत वितरित होने वाले ब्याज रहित अल्पकालीन ऋण की अधिकतम सीमा रू0 1.00 लाख व मध्यकालीन ऋण की अधिकतम् सीमा 03.00 लाख रु0 होगी।
6. उक्त योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह को वितरित ऋण की अधिकतम् सीमा पूर्व की ही भांति रू0 5.00 लाख होगी।
7. उक्त के अतिरिक्त सदस्यों एवं स्वयं सहायंता समूहों को वितरित किये जाने वाले ऋण हेतु मापदण्ड/अर्हता व अन्य समस्त आवश्यक औपचारिकतायें/नियम/शर्तें शासनादेश संख्या–145/XIV–1/20–5(19) 2010 दिनांक 08 फरवरी में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अधीन होंगें।

अतः इस कार्यालय के आदेश संख्या–सी0–136/अधि0/दी0व0उ0स0कि0क0यो0/2018–19 दिनांक 11 फरवरी 2019 में निहित प्राविधान उपरोक्त सीमा तक संशोधित किये जाते है। अन्य शर्तों को यथावत समझा जायेगा।

(बी0एम0मिश्र)
निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड।

पत्रांक /दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपनिबन्धक,सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, कुमांऊ मण्डल अल्मोड़ा/गढवाल मण्डल पौडी।
2. महाप्रबन्धक ,नाबार्ड,क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
3. क्षेंत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, राजपुर रोड़ देहरादून।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
7. अपर मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. कार्यालय प्रति।

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड।